प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 31 /2024

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002
दिनांकः जुलाई 17, 2024

विषयः पुलिस अभिरक्षा में होने वाली मृत्यु / प्रताड़ना की घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

ज्ञातव्य है कि पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु की घटना से जहाँ एक ओर पुलिस की छवि धूमिल होती है वहीं कानून एवं व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। **"अभिरक्षा में मृत्यु/प्रताड़ना"** अति संवेदनशील एवं अमानवीय अपराध है, जिसका दायित्व प्रायः पुलिस पर स्थापित होता है। ऐसी घटनाओं से प्रायः कई पुलिस अधिकारी व कर्मचारीगण हत्या जैसे संगीन अपराध के दोषी बन जाते हैं। पुलिस अभिरक्षा में हई मृत्यु /प्रताड़ना की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय-समय पर पार्श्वांकित बाक्स में अंकित परिपत्र निर्गत किये गये हैं।

डीजी परिपत्र सं0-14/2024 दि-26.03.2024
डीजी परिपत्र सं0-14/2022 दि0-01.06.2022
डीजी परिपत्र सं0-25/2021 दि0-31.07.2021
डीजी परिपत्र सं0-28/2020 दि0-16.08.2020
डीजी परिपत्र सं0-50/2018 दि0-13.09.2018
डीजी परिपत्र सं0-10/2018 दि0-17.03.2018

2- मानवाधिकारो की सुरक्षा में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुलिस अभिरक्षा में लिये गये व्यक्ति के साथ सावधानी बरती जाए एवं गिरफ्तारी तथा हवालात में दाखिल करते समय मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी.के. बसु बनाम स्टेट आफ बंगाल में पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन तथा इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का भी अध्ययन कर अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

3- आप भिज्ञ है कि वर्तमान में ऐसे दृष्टान्त आ रहे हैं कि कतिपय व्यक्तियों की Comorbidity एवं अन्य कारणों से मृत्यु हो जा रही है। इसके लिए आवश्यक है कि किसी व्यक्ति/अभियुक्त को थाने पर पूछताछ के लिए लाने से पूर्व इस बात की पुष्टि कर ली जाए कि क्या वह पूर्व से किसी गम्भीर रोग से ग्रस्त तो नहीं है। गम्भीर रोग से ग्रस्त व्यक्ति/गिरफ्तार अभियुक्त को थाने पर कदापि न लाया जाए। यदि किन्ही कारणोंवश थाने पर लाये गये व्यक्ति/गिरफ्तार अभियुक्त आकस्मिक रूप से बीमार हो जाता है, तो इस आकस्मिकता के दृष्टिगत उसका समीप के चिकित्सालय में तत्काल उपचार कराया जाए।

4- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु/प्रताड़ना के प्रकरणों की प्रभावी रोकथाम हेतु आपके मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु निम्नांकित निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:-

- थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी के जानकारी के बिना थाने अथवा पुलिस चौकी में किसी व्यक्ति को न तो लाया जाए और ना ही बैठाया जाए। यदि किसी व्यक्ति को किसी कारणवश लाया जाए तो इसका समुचित अभिलेखीकरण भी तत्समय ही किया जाए।

.....2

- थाने पर यदि कोई घायल गम्भीर अवस्था में व्यक्ति आता है तो उसे हवालात में न रखा जाए तथा उसे समीप के चिकित्सालय में ले जाकर तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाए।
- थानों पर किसी अभियुक्त/व्यक्ति से पूछताछ (INTERROGATION) का कार्य मनोवैज्ञानिक तरीको का प्रयोग करते हुए अत्यन्त धैर्यपूर्वक किया जाए। पूछताछ करते समय उतावलेपन से मारपीट किसी भी दशा में न की जाए। पूछताछ जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति में की जाए। थाने के अन्दर किसी भी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा पूछताछ का कार्य न किया जाए। पूछताछ आख्या तैयार की जाए। प्रत्येक पूछताछ थाना प्रभारी द्वारा स्वयं अथवा नामित निरीक्षक/उप निरीक्षक द्वारा ही की जाए। पूछताछ रजिस्टर में विवरण अंकित किया जाए।
- अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं हवालात में दाखित करते समय मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी०के० वसू बनाम स्टेट ऑफ बंगाल में पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा समय-समय पर पारित आदशों का अध्ययन कर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
- थाना हवालात में कोई खिड़की खूँटी अथवा कोई ऐसी वस्तु / संरचना, जिसका उपयोग विन्दी स्वयं को चोट पहुँचाने अथवा आत्महत्या के लिये कर सकता हो, आदि नहीं होनी चाहिए।
- अभियुक्त के पास पहनने की अतिरिक्त कोई अन्य कपड़ा नही होना चाहिए।
- अभियुक्त को हवालात के अन्दर बन्द करते समय दिवसाधिकारी द्वारा उसकी भलिभाँति जामातलाशी लेकर यह सुनिश्चित कर ले कि अभियुक्त के पास कोई डोरी, रस्सी, तार, गमछा, नुकीली वस्तु, ब्लैड, माचिस, नशीला पदार्थ, ड्रग्स आदि नहीं होना चाहिए, जो आत्महत्या में सहायक हो।
- हवालात के अन्दर बिजली के तार न हो, पानी सप्लाई के पाइप बन्दी के पहुँच के बाहर हो तथा पानी की टोटी नुकीली न हो।
- संतरी डियूटी लगाते समय उनकों थानाध्यक्ष, हेड मोहर्रिर द्वारा उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में भलीभाँति ब्रीफ कर दिया जाए। संतरी डियूटी पर नियुक्त पुलिसकर्मी को निर्देशित कर दिया जाए कि वह हवालात में बन्द अभियुक्त पर हर समय सर्तक दृष्टि बनाये रखें।
- क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा नियमित रूप से थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पुरूष/महिला अवैधानिक रूप से हिरासत में न हो। अधिकारियों द्वारा थानों व चौकियों के प्रत्येक निरीक्षण आख्या में इसे अनिवार्यतः अंकित किया जाए।
- यदि हवालात में मौजूद अभियुक्त का स्वास्थ्य बिगड़ने लगे तो उसे तुरन्त चिकित्सालय ले जाया जाए। यथा सम्भव इस प्रक्रिया की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी भी करा ली जाए तथा अभियुक्त की चिकित्सा में किसी भी दशा में विलम्ब न किया जाए।
- पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु की घटनाओं के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की सूचना 24 घण्टों के अन्दर मानवाधिकार आयोग को प्रत्येक दशा में प्रेषित कर दी जाए।
- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के सम्बन्ध में मृतक का पंचनामा मजिस्ट्रेट द्वारा भरा जाए एवं चिकित्सक द्वारा शव का परीक्षण/पोस्टमार्टम कराते हुए वीडियोग्राफी अवश्य करायी जाए तथा वीडियोग्राफी की सी०डी० को अवलोकन हेतु मानवाधिकार आयोग को भी प्रेषित की जाए।
- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के सम्बन्ध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-196 के प्राविधानों के अनुसार मजिस्ट्रीयल जॉच के आदेश निर्गत किये जाए तथा जाँच के शीघ्र निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय बनाया जाए।

.....3

- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के सम्बन्ध में पंजीकृत किये गये अभियोगों की विवेचना पूरी निष्पक्षता से करायी जाए।
- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के प्रकरणों में समयान्तर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को पोस्टमार्टम रिर्पोट, न्यायिक मजिस्ट्रीरियल जाँच रिर्पोट आदि भेजी जाए तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा पोस्टमार्टम के तत्काल बाद शीघ्रता से अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर विसरा परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-एम-67(1)/16-म-1-09-38(विविध)2009 दिनांक 19.01.2010 एवं मुख्यालय के पत्र संख्याःडीजी-म०-प्र०(निर्देश)/ 2010 दिनांक 09.02.2010 द्वारा निर्गत निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- पुलिस अभिरक्षा में घटित मृत्यु की घटना में संलिप्त दोषी पाये गये पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग में विधिक कार्यवाही के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से विभागीय जॉच सम्पादित की जाए। विभागीय जाँच में उन परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से तथ्यांकित किया जाए, जिसके फलस्वरूप घटना घटित हुई है।

5- उपरोक्त बिन्दु आपके मार्गदर्शन एवं अनुपालनार्थ प्रेषित किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त भी अन्य परिस्थितियों का स्वविवेक से परीक्षण करते हुए समुचित कार्यवाही की जाए, जिससे इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

6- मैं अपेक्षा करता हूँ कि उपरोक्त बिन्दुओं को आप गहनता से अध्ययन कर लें तथा इस सम्बन्ध में जनपद में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को विस्तार से अवगत कराते हुए सर्तक कर दे कि यह अपने दायित्व के निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता तथा शिथिलता न बरते। उपरोक्त निर्देशों का उच्चाधिकारियों के गहन पर्यवेक्षण में कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित कराया जाए। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर दण्डित कराया जाए, जिससे कि भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित न हो।

भवदीय,

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> :—

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।